लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग,कोलकाता शाखा
द्वितीय बहुतलीय कार्यालय भवन, छठा तल, निज़ाम पैलेस,
ए.जे.सी. बोस रोड 4/234, कोलकाता020 700-
फोनः ,13/12/4111/2289-033फैक्सः 4060-2289-033 ई मेलः-
brsdkolkata@cag.gov.in

कार्यालय आदेश

का.आ. संख्या-प्रशासन/53

दिनांकः28.07.2022 29

कार्यालय महानिदेशक, लेखा परीक्षा, पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली ने एमएसीपी योजना के अंतर्गत इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि के प्रभाव से वित्तीय अपग्रेडेशन की मंजूरी से सूचित किया है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	जिस तिथि से अपग्रेडेशन अनुमेय है	एमएसीपी अनुमेय
1.	श्री अशोक विश्वास	एमटीएस	04.06.2022	पहला एमएसीपी, वेतन मैट्रिक्स के लेबल-2 (7वीं सीपीसी)

उक्त कर्मचारी को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है

i) एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन की स्वीकृति केवल वैयक्तिक आधार पर दी जाएगी तथा यह न तो वित्तीय/नियमित पदोन्नति के समान होगी और न ही संबंधित कर्मचारियों के वर्तमान पदनाम/स्थिति में परिवर्तन होगा। इससे उनके मौजूदा वरिष्ठता पद में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर भी, किसी कर्मचारी द्वारा निकास किए गए वेतन से संबद्ध वित्तीय एवं विशिष्ट अन्य लाभों की स्वीकृति दी जाएगी। एमएसीपी योजना के अंतर्गत वेतन निर्धारण के कारण वरिष्ठ कर्मचारी से ज्यादा वेतन पाने वाले कनिष्ठ कर्मचारी के संबंध में वेतन स्तर में वेतन का कोई वर्धक अनुमेय नहीं होगा।

ii) एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अनुदान के वेतन के निर्धारण के संबंध में, संबंधित अधिकारी केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 10 के तहत व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4-21/2017-IC/E.IIIA दिनांक 28.11.2019 के स्पष्टीकरण के साथ पठित वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। एक कर्मचारी के दो या अधिक वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने के मामले में, उसका वेतन वेतन मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तर में क्रमिक रूप से निर्धारित किया जाएगा।

iii) यदि वेतन निर्धारण वेतन मेट्रिक्स के उसी स्तर पर होता है जैसा कि एमएसीपीएस के तहत स्वीकृत था, तो नियमित पदोन्नति के समय कोई और वेतन-निर्धारण नहीं किया जाएगा। तथापि, वास्तविक पदोन्नति के समय यदि वेतन मेट्रिक्स के उच्च स्तर वाले किसी पद, जो एमएसीपीएस के तहत उपलब्ध है, के साथ ऐसा होता है तो कोई वेतन-निर्धारण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और केवल स्तर का अंतर उपलब्ध कराया जाएगा।

* All though at most care has been taken while doing translation of this document but in any case discrepancy kindly consider the English version

iv) यदि संबंधित अधिकारी, एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के बाद, में नियमित पदोन्नति से इनकार करता है, तो वह आगे वित्तीय उन्नयन के लिए विचार करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह स्वीकार्य है जब तक कि वह सहमत नहीं हो जाता है फिर से पदोन्नति के लिए विचार किया गया। अगला वित्तीय उन्नयन, यदि स्वीकार्य हो, तो इस तरह के इनकार के कारण डिबारमेंट की अवधि की सीमा तक आस्थगित किया जाएगा।

यह उप निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्राधिकारः- संख्याः महा.नि/पर्या. एवं वै.वि/प्रशा-II/1/21(51)/MACP/B.O./2019-20/330
दिनांक 25.07.2022

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

संख्या प्रशा/2(165)/एमएसीपी/IV/ 2826-42

दिनांक 29-7-2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण विभाग, डी.ए.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002 उनके पत्र सं.महा.नि./पर्या एवं वै.वि. प्रशा-II/1/21(51)/ **MACP/BO/2019-20/330** दिनांक **25.07.2022** के संदर्भ में
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, उधोग एवं कोरपोरेट अफेयरस, एजीसीआर भवन, आईपी एस्टेट,नई दिल्ली-110002
3. भुगतान एवं लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी भवन, कोलकाता-700 001
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वितिय व संचार), 7, कोइलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता-700 001
5. श्री अशोक विश्वास, एमटीएस
6. श्री अशोक विश्वास, एमटीएस की निजी संचिका
7. स्थापना अनुभाग
8. वेतन निर्धारण सीट
9. परीक्षा सीट
10. ग्रेडेशन सूची सीट
11. बजट सीट
12. हिंदी सेल
13. सचिव, वैज्ञानिक लेखापरीक्षा (कैटेगरी-I) एसोशिएशन, कोलकाता
14. सचिव, वैज्ञानिक लेखापरीक्षा (कैटेगरी-II) एसोशिएशन, कोलकाता
15. सचिव, वैज्ञानिक लेखापरीक्षा (कैटेगरी-III) एसोशिएशन, कोलकाता
16. कार्यालय आदेश पुस्तिका
17. सूचना पट्ट

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)